न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार ,आर.ए.एस

रा.प्रा.पत्र संख्या 78/2018

प्रार्थी
1– शंकरलाल पुत्र गियाजी जाति घांची
2– रतीलाल पुत्र गियाजी जाति घांची
सभी आयु व्यस्क निवासी कृष्णापुरी
सिरोही तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,सिरोही

1– प्रार्थीगण की ओर से वकील सुश्री सीमा खत्री
2– अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात दुरूस्ती करने हेतु

आदेश

दिनांक 30–8–2019

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दि 13–7–2018 को पेश किया जिसका प्रार्थनापत्र मे संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं सहखातेदारों की कब्जे काश्त की संयुक्त कृषि भूमि ग्राम सिरोही पटवार हल्का सिरोही प्रथम तहसील व जिला सिरोही मे स्थित है जिसका खसरा संख्या 609 खाता संख्या नया 209 व पुराना 186 है। कुल रकबा 2.4200 हैक्टेयर किस्म बारानी I है जिसकी विगत जमाबंदी संवत 2070 से 2073 अनुसार दर्ज है। प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि पुश्तैनी खातेदारी की है। जिसमे उनके पिता गियाजी पुत्र जैताजी जाति घांची निवासी कृष्णापुरी सिरोही के नाम जारी खातेदारी कृषि भूमि दिनांक 24–8–87 को जारी पासबुक मे खातेदार का नाम इन्द्राज किया गया है एवं जमाबंदी संवत 2036–2042 तक की जमाबंदी मे गया पुत्र जेता दर्ज किया है व संवत 2042–2045 की खातेदारी जमाबंदी मे गया पुत्र जेता दर्ज किया गया है व संवत 2050 से 2053 मे प्रार्थीगण की खातेदारी की जमाबंदी का रतीलाल के स्थान पर रतनलाल दर्ज किया गया है एवं पिता का नाम गियाजी के स्थान पर रामा दर्ज किया गया है एवं वर्तमान जमाबंदी संवत 2070से 2073 मे प्रार्थी संख्या 2 का नाम रतीलाल के स्थान पर रतनलाल व पिता का नाम गियाजी के स्थान पर रामा दज्र किया गया है जो सम्पूर्ण त्रुटि देखने से भी स्पष्ट होता है कि उक्त त्रुटि संशोधन एवं शुद्वि किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण के पिता गियाजी की मृत्यु दिनांक 31–3–1988 को हुई एवं राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने खातेदारी कृषि भूमि मे उनके वारिसदारों मे प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने लापरवाही व भूल से प्रार्थीगण संख्या 2 का नाम पूर्व की जमाबंदीयों व पिता का नाम सही अंकित नही कर अशुद्व दर्ज किया है सिमे पिता का नाम रामा के स्थान पर गियाजी व रतनलाल के स्थान पर रतीलाल नाम दर्ज किया जाना चाहिये था । प्रार्थीगण को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड रहा है। और प्रार्थीगण के अपने हक हकूकों को लेकर शंका उत्पन्न हो रही है। प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी मे हुई त्रुटि के संबंध मे आवश्यक सभी सरकारी आधार कार्ड ,राशनकार्ड,पैन कार्ड वगैरहा मे प्रार्थीगण के पिता का नाम गियाजी दर्ज है तथा प्रार्थीगण संख्या 2 का नाम सभी दस्तावेजों मे रतीलाल दर्ज है जो प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। राजस्व कर्मचारियें व अधिकारियों द्वारा खातेदारी कृषि भूमि मे हुई त्रुटि को बार बार निवेदन एवं प्रार्थनापत्र प्रस्तत करने के बावजूद उक्त त्रुटि को सुधार नही किया है जिससे प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कारण उत्पन्न हुआ है।अतः अतः प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि सिरोही मे खसरा संख्या 609 खाता संख्या नया 209 व पुराना 186 मे दर्ज गलत राजस्व रेकर्ड मे जमाबंदी मे खातेदार रतनलाल पुत्र रामा के स्थान पर रतीलाल पुत्र गियाजी व प्रार्थीगण के पिता रामा के स्थान पर गियाजी सही दर्ज कर संशोधिन करवाने का आदेश फरमावें तदानुसार उक्त त्रुटि को सही दर्ज कर रेकर्ड मे अमल दरामद कराने के आदेश करावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात प्रतियों मे मौजा सिरोही पटवार हल्का सिरोही I की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 151 खसरा नंबर 647 मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 28–10–88 मृतक गियाजी प्रार्थीगण की माता चुन्नीबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 11–5–2017 प्रार्थीगण का आधार कार्ड, राशनकार्ड ,पैनकार्ड ,जमाबंदी संवत 2036 से 2042,2042 से 2045 ,2050 से 2053 तक की जमाबंदी नकल मिलान क्षैत्रफल, की प्रतियों का अवलोकन करने पर प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ सहमत होने से न्यायालय मे दिनांक 13–7–2018 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये । जिस पर अप्रार्थी संख्या स्टेट तहसीलदार सिरोही का नोटिस तामिलशुदा इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 14–8–2018 को प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये ।

इस न्यायालय मे दिनांक 30–8–2019 को विचारण प्रकरण मे अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही ने जरिये पत्र कमांक 579 दिनांक 30–8–2019 के जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया ।

अप्रार्थी तहसीलदार ,सिरोही ने अपने उक्त जवाब के माध्यम से यह कथन किया कि प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या 1 का कथन रेकर्ड अनुसार सही है जिसकी जमाबंदी प्रति संलग्न है। तथा प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या 2 के सम्बन्ध मे कथन किया कि मौजा सिरोही की वर्तमान जमाबंदी संवत 2070 से 2073 मे खसरा संख्या 609 रकबा 2.4200 हैक्टेयर मे खातेदार शंकरलाल पुत्र गीमा व रतनलाल पुत्र गीमा अन्य सहखातेदारों के साथ नाम दर्ज है। तथा बिन्दु संख्या 3 से 7 तक प्रार्थी स्वंय सिद्व करें तथा प्रार्तिनापत्र के बिन्दु संख्या 8 से 10 तक श्रीमान के न्यायालय से संबंधित होने से प्रत्युत्तर अपेक्षित नही है।

इस न्यायालय मे दिनांक 30–8–2019 को विचारण प्रकरण मे वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार ,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट पर अंतिम बहस सुनने का निवेदन करने से वकील प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने विचारण प्रकरण मे वकील प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनकर उस पर मनन किया । विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय प्रार्थनापत्र व प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात प्रतियों मे मौजा सिरोही पटवार हल्का सिरोही I की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 151 खसरा नंबर 647 मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 28–10–88 मृतक गियाजी प्रार्थीगण की माता चुन्नीबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 11–5–2017 प्रार्थीगण का आधार कार्ड, राशनकार्ड ,पैनकार्ड ,जमाबंदी संवत 2036 से 2042,2042 से 2045 ,2050 से 2053 तक की जमाबंदी नकल मिलान क्षैत्रफल, की प्रतियों जवाब व प्रतियों का अवलोकन कर उस

पर मनन किया । विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि प्रार्थीगण के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 28-8-1988 मे सही नाम गीयाजी अंकित है तथा आधार कार्ड मे भी प्रार्थीगण के पिता का सही नाम गियाजी अंकित है। पुरानी जमाबंदी संवत 2050 से 2053 के खाता संख्या 260 मे प्रार्थीगण शंकरलाल ,रतनलाल पि. गीमाजी की कृषि पास बुक दिनांक 12-8-87 मे गीमा सका पि. जेता तथा जरिये नामा.सं. 86 दि 4-11-88 अनुसार शंकरलाल रतनलाल पि.गीमाजी अंकित है। मिलान क्षैत्रफल की प्रति अनुसार पुराने खसरा नंबर 604/1/3 का रकबा 2.29 नया खसरा नंबर 647 रकबा 2.29 है जो सही है। तथा वर्तमान जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खता संख्या 209 के खसरा नंबर 609 मे प्रार्थीगण शंकरलाल रतनलाल पि. रामा गलत दर्ज हुआ है उक्त गलत दर्ज नाम राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से दर्ज हुआ है। पैरोकार सरकार ने भी अपनी बहस मे प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि सिरोही मे खसरा संख्या 609 खाता संख्या 209 नया व पुराना 186 मे दर्ज गलत राजस्व रेकर्ड मे जमाबबदी मे खातेदार रतनलाल पुत्र रामा के स्थान पर रतीलाल पुत्र गियाजी व प्रार्थीगण के पिता रामा के स्थान पर गियाजी सही दर्ज कर संशोधन करवाने का आदेश फरमावें तदानुसार उक्त त्रुटि को सही दर्ज कर रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना बताया है। उपरोक्त आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भमि पटवार हल्का सिरोही प्रथम खसरा नंबर 609 खाता संख्या 209 व पुराना 186 मे दर्ज गलत राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे खातेदार रतनलाल पुत्र रामा के स्थान पर रतीलल पुत्र गियाजी व प्रार्थीगण के पिता रामा के स्थान पर गियाजी सही दर्ज करना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा प्रार्थी के उक्त नाम की त्रुटि लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा मे आने से न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है अन्यथा भविष्य मे प्रार्थीगण मानसिक तनाव व आर्थिक नुकसान हो सकता है तथा भविष्य मे उक्त मामले मे कानूनी उलझने पैदा हो सकती है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि मौजा सिरोही पटवार हल्का सिरोही प्रथम तहसील सिरोही मे स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 609 खाता संख्या नया 209 व पुराना 186 मे दर्ज गलत राजस्व रेकर्ड मे जमाबंदी मे दर्ज गलत नाम रतनलाल पुत्र रामा के स्थान पर रतीलाल पुत्र गियाजी व प्रार्थीगण के पिता रामा के स्थान पर गियाजी सही दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे संशोधन कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिर्पोट एक सप्ताह मे इस न्यायालय मे आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही
(उपखण्ड अधिकारी)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 30-8-2019 को मेरे हस्ताक्षर ,पदनाम,व न्यायलय की गोल मुहार से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)